

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मंगाए गए आवेदन**

रायगढ़। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाअनुसार रायगढ़ जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उसमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें शिक्षा सत्र 2023-24 में ऐसे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम वर्ष परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन एवं संस्था पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन हेतु कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उन आवेदकों को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदाय कर दिया गया है। विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि 12 जुलाई 2024 तक अपना छात्रवृत्ति आवेदन पूर्ण कर अध्ययनरत संस्था में जमा करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति कराना सुनिश्चित करें। जिसके तहत विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में जमा करने हेतु 10 जुलाई तक की तिथि निर्धारित है। इसी तरह महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव/स्वीकृति जिला कार्यालय में जमा करने हेतु 12 जुलाई तक तथा जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति एवं डिसबर्सल कार्य के लिए 15 जुलाई 2024 तक की तिथि निर्धारित है। अतएव विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समयविधि में आवेदन नहीं करने अथवा स्वीकृति नहीं कर पाने पर समस्त जवाबदारी संबंधित छात्र एवं संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।

**जिले में 206.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज**

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 3 जुलाई तक 206.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 12 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 248.5 मिली मीटर, पुसौर में 290.1, खरसिया में 151.1, घरघोड़ा में 211.2, तमनार में 136.8, लैलूंगा में 205.2, मुकडेगा में 246.6, धरमजगढ़ में 140.8, छाल में 201.2 एवं कापू में 235 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

**सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के वारिसान को सहायता राशि स्वीकृत**

रायगढ़। अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत मनीष श्रीवास्तव आदीपक श्रीवास्तव, निवासी-छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़ की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने के फलस्वरूप तहसीलदार रायगढ़ के अनुशंसा पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा मृतक की माता ममता श्रीवास्तव को 25 हजार रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

**17 जुलाई मोहरम पर शुष्क दिवस घोषित**

रायगढ़। शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहरम पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारां (एफ.एल.-3)को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

**स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के लिए 16 तक मंगाए गए आवेदन**

रायगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिले में स्वीकृत आरओपी के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति-2018 में दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए 16 जुलाई 2024 सार्थक 5 बजे तक आवेदन मंगाये गये हैं। इच्छुक एवं योग्यताधारी आवेदक नियत तिथि तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी रायगढ़ जिले की वेबसाइट www.raigarh.gov.in में उपलब्ध है।

**खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 06 ट्रैक्टर जब्त**

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर खनिज अधिकारी हीरादास भारद्वाज के मार्गदर्शन में खनिज एवम पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा बिलाईगढ़ तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। ग्राम चिकनीडीह में खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 06 ट्रैक्टर को जप्त किया गया, जिसमें 03 ट्रैक्टर को भट्ठाव भी शामिल है। 3 ट्रैक्टर की सुपुर्दी सरसीवा थाना में दिया गया। यह कार्यावाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवम खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की जाएगी।साथ ही अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर कलेक्टर के निर्देश पर की जायेगी।

**6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उर्दना, रायगढ़ में आयोजित हुआ शाला प्रवेशोत्सव एवं सम्मान समारोह**

**देश के भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना महत्वपूर्ण-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मुख्य आतिथ्य में आज 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उर्दना, रायगढ़ के आदर्श वंदना विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी दिव्यांग पटेल उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर कार्तिकेया गोयल एवं एसपी दिव्यांग पटेल ने नव नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया।

आयोजित शाला प्रवेश उत्सव एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर गोयल ने कहा कि बच्चे



देश का भविष्य है उन्हें हर प्रकार से अच्छी शिक्षा प्रदान करना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो भविष्य में देश के विकास में अपना योगदान देकर हम शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत जानता है कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा का हर समाज में महत्व होता है। सेना के साथ देश का हर व्यक्ति, शिक्षा का मंदिर है। उन्होंने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने

अपने जीवन में जो करना था, वह कर लिया एवं जो करेगे वह कर भी सकते हैं, लेकिन आपके बुढ़ापे का भविष्य बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। हम शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत जानता है कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा का हर समाज में महत्व होता है। सेना के साथ देश का हर व्यक्ति, शिक्षा का मंदिर है। उन्होंने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने



और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कलेक्टर गोयल ने कहा कि आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत कि जिससे देश मजबूत है, हमें भी अपने देश के भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से मजबूत करना है। उन्होंने परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके पास एक स्कूल है, जिसके माध्यम से शिक्षा में आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस दौरान मेधावी

छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि मैं स्वयं बहुत सारे बटालियन से जुड़ा रहा, लेकिन 6 वीं बटालियन के द्वारा जिस प्रकार से नियमित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यह सराहनीय है। स्कूल में उच्च दर्जे की शिक्षा प्रदान की जा रही है। जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम से बच्चों के साथ ही

अभिभावकों का भी उत्साहवर्धन हुआ है। इस दौरान शाला के बच्चों ने स्वागत नृत्य और योग की सुंदर प्रस्तुति दी। जिसमें आर्या द्विवेदी एवं ग्रुप द्वारा डांस की प्रस्तुति, ओजस ग्रुप द्वारा योगा तथा अनंता पाण्डेय ग्रुप द्वारा कथक की प्रस्तुति दी गई। जिसका कलेक्टर गोयल एवं एसपी दिव्यांग पटेल ने सराहना भी की।

इस अवसर पर उप सेनानी सुरेशा चौबे, डॉ.गौतम शर्मा, अनिता कपूर, अर्चना मिश्रा, राजकुमारी विजया लक्ष्मी, अंकिता मुदलियार, राजश्री झा, मनीषा नुबे, शीला तिवारी, नीतू अग्रवाल, प्रहलाद तिवारी, विकास पटेल, नवल किशोर साहू, ब्रजेश तिवारी, रामचंद्र शर्मा, अयोध्या नाथ चौबे, डॉ.राजू अग्रवाल सहित बटालियन के सेनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन प्राचार्य राजेश डेनियल ने किया।

**गुम बालिका को जूटमिल पुलिस ने सिकंदराबाद में किया दस्तयाब, नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी भेजा जेल**

रायगढ़

जूटमिल पुलिस ने थाना क्षेत्र जाहिर किये थे। थाना जूटमिल में संदेही के विरुद्ध अप.क्र. 268/2024 धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा बालिका और संदेही का डिटेल्ड निरुलवाया गया, दोनों के मोबाइल बंद थे। 28 जून को थाना प्रभारी को दोनों



के सिंदराबाद में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम तैयार कर बालिका और संदेही की पतासाजी के लिये तेलंगाना रवाना किया गया। जूटमिल पुलिस द्वारा सिकंदराबाद के पेट बशीराबाद क्षेत्र में बालिका और संदेही चुन्नु बरेठ को निरुलवाया गया, दोनों के मोबाइल बंद थे। 28 जून को थाना प्रभारी को दोनों

पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीएस 4, 6 पाँक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी चन्द्रभूषण उर्फ चुन्नु बरेठ पिता संतोष कुमार उर्फ उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बड़े सीपत, थाना मालखरीद, जिला सक्ती को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जहां से आरोपित को जेल वॉरंट पर जेल दाखिल किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी (शहर) आकाश मरकाम व नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर गुम बालिका की दस्तयाबी और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक मोहन दिलदार कुंरेशी और महिला आरक्षक समीक्षा पाण्डेय की लाया गया। बालिका के कथन, मेडिकल

**11 जुलाई से शुरू होगा जनसमस्या निवारण शिविर**

**विभागीय योजनाओं के लगाये जायेंगे स्टॉल**

**कलेक्टर गोयल ने शिविर आयोजन एवं आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में रायगढ़ जिले में ग्रामीणजनों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर माह जुलाई से दिसम्बर 2024 तक होगा। यह शिविर 11 जुलाई से शुरू होगा जो आगामी 27 दिसम्बर 2024 तक चलेगा। कलेक्टर गोयल ने सभी विभाग प्रमुखों

को शिविर में शासन के निर्देशानुसार अपने विभागीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाने हेतु निर्देशित किया है। जिससे ग्रामीणजन योजनाओं का लाभ उठा सकें। कलेक्टर गोयल ने समस्त एसडीएम एवं सीईओ जनपदों को अपने क्षेत्र अंतर्गत शिविरों के आयोजन व आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। सभी जनपद सीईओ अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को सूचित करेंगे कि वे ग्रामीण जनता के आवेदन पत्रों को नियत तिथि तक प्राप्त कर उनके कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। ग्राम पंचायतों से प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंजीकरण कर संबंधित विभाग को निराकरण हेतु भेजेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित विभाग उक्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर अंतिम निराकरण की रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नियत तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि शिविर हेतु नियत तिथि को शिविर स्थल पर आवेदन पत्रों के अंतिम निराकरण से अवगत कराए। जिन आवेदनों का निराकरण शिविर हेतु नियत तिथि तक न होने की दशा में एक निश्चित तिथि निर्धारित कर उसकी सूचना आवेदक को देने के निर्देश दिए। इन तिथियों में यहां लगे शिविर 11 जुलाई को घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम बरोनाकुंडा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह धरमजगढ़ के ग्राम विजयनगर में 26 जुलाई, लैलूंगा के तोलगे में 8 अगस्त, तमनार के हमीरपुर में 29 अगस्त, रायगढ़ के कांटाहरदी में 13 सितम्बर, खरसिया के बर्रा में 27 सितम्बर, पुसौर के त्रिभौना में 10 अक्टूबर, रायगढ़ के जामगांव में 25 अक्टूबर, धरमजगढ़ के कुडेकेला में 8 नवम्बर, घरघोड़ा के बटुराकडार में 29 नवम्बर, लैलूंगा के घटगांव में 13 दिसम्बर तथा तमनार के देवगढ़ में 27 दिसम्बर 2024 को जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा।

**बाइक पर गांजा तस्करी करते मध्य प्रदेश के दो गांजा तस्करों को पुसौर पुलिस ने पकड़ा, ढाई किलो गांजा और मोटर सायकल जब्त**

**आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही**

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा क्षेत्र में मुखबिर सक्रिय कर कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में दिनांक 02/07/2024 के दोपहर थाना प्रभारी पुसौर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक एमपी नंबर की मोटरसाइकिल पर दो लड़के उड़ीसा से गांजा लेकर मंडला, एमपी जाने निकले हैं। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर सूचना से



अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर कार्यवाही के लिए नाकेबंदी पॉइंट लगाया गया। इसी दरमियान नवापारा चौक में नाकेबंदी कर रही पुसौर पुलिस टीम द्वारा लारा की ओर से आ रही एमपी पासिंग मोटरसाइकिल यामहा R15 नंबर MP 09-QP-2184 को रोका गया जिसमें दो युवक बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल ने अपना नाम प्रिंस कुमार साहू तथा पीछे बैठा युवक अपना नाम नितेश

कुमार मिश्रा दोनों निवासी ग्राम कहका थाना निवास जिला मंडला (मध्य प्रदेश) के रहने वाले बताए। दोनों युवकों को नाकाबंदी के कारणों से अवगत कराते हुए विधिवत उनकी तलाशी ली गई। पीछे बैठे युवक निलेश कुमार मिश्रा के कब्जे में रखे थैला के भीतर 03 प्लास्टिक की पन्नी में मादक पदार्थ गांजा पाया गया जिसका वजन करने पर कुल 2 किलो 580 ग्राम पाया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर अवैध बिक्री के लिए उड़ीसा से गांजा लेकर अपने गांव जाना बताए। आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ गंज 2 किलो 580 ग्राम कीमती रु.25,000 मोटरसाइकिल यामहा R15 नंबर

MP 09-QP-2184 (रु.80,000) तथा दोनों आरोपियों के 02 नग मोबाइल (रु.15,000) कुल जुमला रु.1,20,000 की जप्ती कर थाना पुसौर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी (शहर) आकाश मरकाम तथा नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर गांजा रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, के.एस.जात, आरक्षक दिनेश गांड, कीर्तन यादव, विजय कुशाहा और दिलीप सिदार की अहम भूमिका रही है।

**डेंगू के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाईजरी**

**डेंगू के लक्षण पाये जाने पर निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, मितानिन एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता को करें सूचित एवं त्वरित जांच कर कराए इलाज**

**अधिक जानकारी एवं परामर्श सेवा हेतु 104 डायल करें अथवा डेंगू कंट्रोल रुम, जिला चिकित्सालय रायगढ़ में करें संपर्क**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी



डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने डेंगू के कारण एवं लक्षण, उसके रोकथाम व बचाव के उपाय के संबंध में एडवायजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान और जागरूक रह कर इससे बचा जा सकता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह दिन में काटता है। पांच से छह दिन बाद डेंगू के लक्षण नजर आते हैं। सीएमएचओ ने कहा कि डेंगू रीपीड डायग्नोस्टिक टेस्ट कीट से जांच होने के

उपरांत धनात्मक पाये जाने वाले मरीज केवल डेंगू के संदेहास्पद मरीज होते हैं, उनको अंतिम डेंगू के धनात्मक मरीज नहीं माना जाता है। उक्त मरीजों को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में थ्रदद्वारा डेस्ट में धनात्मक पाये जाने पर ही शासन द्वारा डेंगू के मरीज होने की पुष्टि की जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण काल की दृष्टिगत रखते हुये डेंगू से संबंधी ऐतिहासिक बर्तने की सलाह नागरिकों को दी है। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं परामर्श सेवा हेतु 104 डायल करें अथवा डेंगू कंट्रोल रुम, जिला चिकित्सालय रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।

डेंगू के लक्षण- डेंगू के लक्षण होने पर अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंख के पीछे दर्द होना, जी मचलाना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह एवं

मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते उभरना जैसे लक्षण पाये जाते हैं। इस तरह के लक्षण पाये जाने पर निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र/मितानिन/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें एवं त्वरित जांच कर इलाज कराए।

**क्या करना चाहिए-** बारिश के बाद अपने घर के आसपास पानी जमा होने की जांच करें। सभी पानी के कंटेनरों/ओवरहेड टैंकों आदि को ठीक से ढककर रखें। हफ्ते में एक बार घरों, कार्यालयों, कारखानों, स्कूलों आदि में सभी कूलरों और कंटेनरों को साफ कर के सुखाएं। हर हफ्ते फ्रिज की पिछली ट्रे में पानी जमा होने की जांच करें और उन्हें अच्छे से सुखाएं। पक्षियों और जानवरों को खिलाने वाले बर्तन डेंगू का कारण बनने वाले मच्छर के प्रजनन का संभावित स्रोत हैं इसलिए इन्हें स्क्रब से साफ करें और हफ्ते में पानी बदलें।

मच्छरों के काटने से बचने के लिए दिन के समय खुले हिस्सों पर मच्छर निरोधक का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े और लंबे कपड़े व पतलून पहनें जो हाथ और पैरों को ढकें। मच्छरों को दूर रखने के लिए जालीदार दरवाजे व खिड़कियां, मच्छर कोइल वेपरमेट आदि का उपयोग करें। दिन के समय विशेष रूप से शिशुओं और बुजुर्गों के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उपरोक्त किसी भी तरीके से डेंगू के मरीजों को मच्छर के काटने से बचाएं। सुनिश्चित करें कि ईमारतों के आसपास के जमीनी क्षेत्रों में, छत पर कोई जलप्रभाव न हो और खुले स्थानों पर कोई टूटा हुआ फर्नीचर या कबाड़ न हो।

**क्या नहीं करना चाहिए-** टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, बोतलें, गमले, फूलदान आदि को बाहर या छतों पर इकट्ठा न होने

दें उपयोग में न होने पर डेजर्ट कूलर में पानी न छोड़ें। फूलों के गमलों के नीचे प्लेटें न रखें। पानी को बिना ढके या ठीक से ढके हुए कंटेनरों और टैंकों में न रखें। घरों, वर्कशॉप, गोदामों आदि के बाहर टायर न रखें। नारियल पानी पीने के बाद नारियल के छिलकों को खुले में न फेंके, क्योंकि इन छिलकों में बारिश का पानी जमा हो सकता है, जिससे मच्छर पनप सकते हैं। गिलास, कप, प्लेट, कुल्हाड़े आदि जैसी डिस्पोजेबल वस्तुओं को खुले में न फेंके क्योंकि इन वस्तुओं में भी पानी जमा होने से मच्छरों के प्रजनन का खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार के रोगियों को एस्पिरिन और ब्रूफेन न दें, प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर रक्त स्राव हो सकता है इसलिए टेबलेट पेरसिटामोल का उपयोग बुखार और शरीर दर्द के लिए किया जा सकता है।